


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1975/श्रावण 11, 1897

No. 289]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1975/SRAVANA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August 1975

S.O. 412(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eleventh Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(A) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPORT PRODUCTION (NIRYAT UTPADAN VIBHAG)", in entry 6, after item (xi) the following item shall be inserted, namely:—

"(xii) The National Textile Corporation Limited.;"

- (B) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (UDYOG AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", under sub-heading "A DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", entry 33 shall be omitted.

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]

J. S. MONGIA, Jt. Secy.

संज्ञिसण्डल सचिवालय

(संज्ञिसण्डल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1975

का० प्रा० 412 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन) (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत "ख. निर्यात उत्पादन विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 में, मद (XI) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(XII) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड";

(ख) "उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क—औद्योगिक विकास विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 33 का लोप कर दिया जाएगा।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० 74/2/1/75-सी० एफ०]

जे० एस० मोंगिया, संयुक्त सचिव।